



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
प्रधान आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
कोचिन, COCHIN

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

सी.सं.C. No. II/39/47/2017-हिन्दी / के.उ.शु.

दिनांक Date : 30.08.2017

परिपत्र / CIRCULAR

विषय : संयुक्त हिन्दी पखवाड़ा समारोह, 2017 - संबन्धित ।

Sub : Joint Hindi Fortnight Celebrations, 2017- Regarding.

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के भाग के रूप में केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोचिन तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोचिन में दिनांक 25.09.2017 से 06.10.2017 तक संयुक्त हिन्दी पखवाड़ा समारोह का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है । इस समारोह के दौरान निम्न सारणी के अनुसार अधिकारियों के लिए विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी ।

As a part of the implementation of Official Language Policy, it has been decided to jointly celebrate Hindi Fortnight in this Commissionerate along with the Commissionerate of Central Excise & Service Tax, Audit, Cochin from **25.09.2017 to 06.10.2017**. During the fortnight various Hindi competitions will be conducted as per the following schedule.

क्र.सं Sl.No	तारीख Date	प्रतियोगिताएं Competitions	पात्रता Eligibility	समय Time
1	25.09.2017 सोमवार Monday	हस्तलेखन Handwriting	सभी अधिकारी (हिन्दी भाषी व अहिन्दी भाषी अधिकारियों के लिए एक ही प्रतियोगिता) All officers (common competition for Hindi speaking and Non-Hindi speaking officers)	3.30PM -4.30 PM
2	26.09.2017 मंगलवार Tuesday	निबंध लेखन Essay Writing/	हिन्दी भाषी अधिकारियों के लिए / for Hindi speaking officers	3.30PM -4.30 PM
3	27.09.2017 बुधवार Wednesday	टिप्पण एवं आलेखन Noting & Drafting	सभी अधिकारी (हिन्दी भाषी व अहिन्दी भाषी अधिकारियों के लिए एक ही प्रतियोगिता) All officers (common competition for Hindi speaking and Non-Hindi speaking officers)	3.30PM -4.30 PM
4	28.09.2017 गुरुवार Thursday	बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं Competitions for children	अलग परिपत्र जारी separate circular issued	3.00PM -5.30 PM
5	03.10.2017 मंगलवार Tuesday	सुगम संगीत Light Music	सभी अधिकारी (हिन्दी भाषी व अहिन्दी भाषी अधिकारियों के लिए एक ही प्रतियोगिता)	3.30PM -4.30 PM

			for Hindi speaking and Non-Hindi speaking officers)	
7	04.10.2017 बुधवार Wednesday	अंताक्षरी Antakshari	सभी अधिकारी (हिन्दी भाषी व अहिंदी भाषी अधिकारियों के लिए एक ही प्रतियोगिता) All officers (common competition for Hindi speaking and Non-Hindi speaking officers)	3.30PM -4.30 PM
8	05.10.2017 गुरुवार Thursday	प्रश्नोत्तरी(पहला राउंड - हिन्दी की संवैधानिक स्थिति तथा अन्य राउंड सामान्य ज्ञान) Quiz(first round will be on the constitutional status of Hindi, other rounds on GK)	सभी अधिकारी (हिन्दी भाषी व अहिंदी भाषी अधिकारियों के लिए एक ही प्रतियोगिता) All officers (common competition for Hindi speaking and Non-Hindi speaking officers)	3.30PM -4.30 PM
9	06.10.2017 शुक्रवार Friday	समापन समारोह Valedictory Function	संभावित तिथि(06.10.2017) Tentative date (06.10.2017)	3.30PM -4.30 PM

सभी प्रतियोगिताएं आयुक्तालय के ऑडिटोरियम / कॉन्फ्रेंस हाल में आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को संयुक्त हिन्दी पखवाड़ा समापन समारोह के दौरान नकद पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे इन प्रतियोगिताओं में भाग लें तथा संयुक्त हिन्दी पखवाड़ा समारोह, 2017 को सफल कराएं।

All the competitions will be organized in the Auditorium / Conference Hall of the Commissionerate. During the valedictory function **cash prizes and certificates** will be distributed to the winners of the competitions. All officers are requested to participate in the competitions to make the Joint Hindi Fortnight, 2017 a success.

किसी भी प्रतियोगिता के आयोजन के लिए कम से कम पाँच प्रतिभागियों / टीमों का होना अनिवार्य है। अधिक जानकारी तथा प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए हिन्दी अनुभाग से संपर्क करें। (एक्सटेंशन -416)- केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय तथा (एक्सटेंशन -368)- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, एवं सेवा कर लेखा परीक्षा, मुख्यालय।

To conduct a competition minimum number of five participants / team is essential. For further details and participation kindly contact OL Hindi Section, Central Tax & Central Excise, Hqrs. (Extn.416) or ((Extn.368) C. Ex.&S.T. Audit, Hqrs.



अमरनाथ केसरी/Amarnath Kesari

संयुक्त आयुक्त [का. व सत.] व राजभाषा अधिकारी
Joint Commissioner[P&V] & Rajbhasha Adhikari

प्रतिलिपि / Copy to:-

The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone, Cochin-18.

2. प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोचिन

The Commissioner of Central Excise, Customs & Service Tax, Cochin.

3. आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर लेखा परीक्षा, कोचिन

The Commissioner of Central Excise & Service Tax, Audit, Cochin.

4.अपर आयुक्त (मु.आ.का.), संयुक्त आयुक्त(तकनीकी), संयुक्त आयुक्त(लेखा परीक्षा आयुक्तालय),

के सभी उप/सहायक आयुक्त तथा लेखा परीक्षा आयुक्तालय के सभी उप/सहायक आयुक्त

Addl.Commissioner(CCO), Joint Commissioner(Tech),Joint Commissioner(Audit Commissionerate). All Dy./Asst. Commissioners in Hqrs. Office and All Dy./Asst.

प्रतिलिपि / Copy to:-

The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone, Cochin-18.

2. प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोचिन

The Commissioner of Central Excise, Customs & Service Tax, Cochin.

3. आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर लेखा परीक्षा, कोचिन

The Commissioner of Central Excise & Service Tax, Audit, Cochin.

4.अपर आयुक्त (मु.आ.का.), संयुक्त आयुक्त(तकनीकी), संयुक्त आयुक्त(लेखा परीक्षा आयुक्तालय),
के सभी उप/सहायक आयुक्त तथा लेखा परीक्षा आयुक्तालय के सभी उप/सहायक आयुक्त

**Addl.Commissioner(CCO), Joint Commissioner(Tech),Joint Commissioner(Audit
Commissionerate),All Dy./Asst. Commissioners in Hqrs. Office and All Dy./Asst.
Commissioners in Audit Commissionerate.**

4.कोचिन आयुक्तालय तथा लेखा परीक्षा आयुक्तालय के सभी प्रभागों के प्रभारी उप /सहायक आयुक्त

**All Dy./Asst. Commissioners in charge of all divisions of Cochin
Commissionerate & Audit
Commissionerate.**

5.मुख्य लेखा अधिकारी/वेतन एवं लेखा अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी(मु.)/ प्रशासनिक

अधिकारी(डी.डी.ओ.), मुख्यालय तथा लेखा परीक्षा आयुक्तालय / CAO/PAO/AO(H)/AO(DDO),
Hqrs. Office & Audit Commissionerate.

6. मुख्यालय तथा लेखा परीक्षा आयुक्तालय के सभी अनुभाग / All Sections in Hqrs. Office &
Audit Commissionerate.

7. अधीक्षक (जन संपर्क अधिकारी)/ केयरटेकर को आवश्यक व्यवस्था करने के लिए ।

**Superintendent (PRO)/ Caretaker with request for making necessary
arrangements for the programme.**

8. अधीक्षक (ई.डी.पी. कक्ष) वैबसाइट में अपलोड करने के लिए

Superintendent (EDP Cell) for uploading in the website.

9.सूचना पट्ट / Notice Board.